रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड I
PART I—Section I
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 80] नई दिल्ली, सोमवार, मई 1, 1978/वैशाख 11, 1900
No. 80] NEW DELHI, MONDAY, MAY 1, 1978/VAISAKHA 11, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना सं० 28 आई टी सी (पी एन)/78

नई दिल्ली, 1 मई, 1978

विषय :—आयात-नीति 1978-79—1 अप्रैल, 1968 से पहले किए गए निर्यातों पर आधारित आरईपी आवेदनपत्रों को निपटाना।

मि० सं० 6/66/78-ईपीसी .—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 22-आई०टी०सी० (पी०एन०)/78 दिनांक 3 अप्रैल, 1978 के अन्तर्गत प्रकाशित आयात-नीति 1978-79 में पैरा 211, अध्याय 21, "अन्तर्वर्ती व्यवस्थाओं" की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. उक्त पैरा 211 में 1 अप्रैल, 1978 से पहले किए गए निर्यातों से संबंधित आरईपी आवेदनपत्रों को निपटाने के लिए उन मामलों में नीति निर्धारित की गई है जिनमें लाइसेंस

3 अप्रैल, 1978 को या इससे बाद में जारी किया गया हो। यह पैरा ऐसे लाइसेंसों के आधार पर आयात के लिए अनुमेय की जाने वाली मदों को भी निर्दिष्ट करता है। लेकिन, 1978-79 की आयात-नीति के अनुसार निर्यातक को आयात प्रतिपूर्ति दर और आयात की मद दोनों के लिए दावा करने की पूर्ण-रूपेण छूट दी गई है।

3. पहले ही प्राप्त किए गए ऐसे अनिर्णीत आवेदनपत्रों को लाइसेंस प्राधिकारी निर्धारित नीति के अनुसार निपटाएंगे। लेकिन जो, निर्यातक 1978-79 की आयात नीति के उक्त पैरा 211 में यथा उल्लिखित नीति के अनुसार पूर्णरूपेण आयात प्रतिपूर्ति दर और आयात की मद दोनों के लिए इच्छुक हैं उन्हें अपना विकल्प लिखित रूप में सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को 20 मई, 1978 तक भेजना चाहिए। ऐसे विकल्प नहीं रहने पर लाइसेंस प्राधिकारी यह मान लेगा कि निर्यातक विकल्प उपलब्ध करना नहीं चाहता है।

4. 1 अप्रैल, 1978 से पहले किए गए निर्यातों पर आधारित इसके बाद प्रस्तुत किए गए आरईपी आवेदनपत्रों के सम्बन्ध में निर्यातक को अपने आवेदनपत्र में यह निरपवाद रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए कि 1978-79 की आयात-नीति के अनुसार वह आयात प्रतिपूर्ति दर और आयात की मद के लिए पूर्ण रूप से अपना विकल्प देता है या नहीं।

का० वें० शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE NO. 28 ITC(PN)/78

New Delhi, the 1st May, 1978

Subject : Import Policy 1978-79 disposal of REP applications based on exports made prior to 1st April, 1978.

F. No. 6/6/78-EPC.—Attention is invited to paragraph 211, Chapter 21, "Transitional Arrangements", in the Import Policy 1978-79, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 22-ITC(PN)/78 dated the 3rd April, 1978.

2. The said paragraph 211 sets out the policy for disposal of REP applications pertaining to exports made prior to 1st April, 1978 where the licence is issued on or after 3rd April, 1978. It also indicates the items to be permitted for import against such licences. The exporter has, however, been given the option to claim both the import replenishment rate as well as items of import in terms of the Import for 1978-79 in toto.

3. The licensing authorities will dispose of such pending applications already received by them in accordance with the policy laid down. However, exporters who are willing to opt both for import replenishment rate as well as the items of import in terms of the Import Policy for 1978-79 in toto, as provided in the said paragraph 211, should send their option, in writing, to the licensing authority concerned by 20th May 1978. In the absence of any such option, the licensing authority will take it that the exporter is not willing to avail of the option.

4. In respect of REP applications submitted hereafter, based on exports made prior to 1st April 1978, the exporter should invariably indicate in his application whether he opts (or not) for the import replenishment rate as well as items of import in terms of Import Policy for 1978-79 in toto.

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports and Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978